



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 माघ 1941 (श०)

(सं० पटना 134) पटना, बुधवार, 12 फरवरी 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

12 फरवरी 2020

एस० ओ० 85 दिनांक 12 फरवरी 2020--बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (99) के उपबंधों के अनुसरण में, बिहार के राज्यपाल, राज्य कर आयुक्त को, उनके अधीनस्थ राज्य कर के अधिकारियों द्वारा पारित आदेश या निर्णय हेतु उक्त अधिनियम की धारा 108 के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करते हैं।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-8)-449)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

12 फरवरी 2020

एस० ओ० 85, दिनांक 12 फरवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-8)-449)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 12th February 2020

S.O. 85, Dated the 12th February 2020- In pursuance of the provisions of clause (99) of section 2 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017)

(hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Bihar, hereby authorises Commissioner of State Tax for decisions or orders passed by the officers of State Tax subordinate to the said Commissioner as the Revisional Authority under section 108 of the said Act.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-8)449)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 134-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>